उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम

बनाम्

एच.एच. पुजार

(सिविल अपील संख्या 4520 / 2008)

जूलाई 18, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सथाशिवम, जे.जे.)

श्रम कानून- सेवा से बर्खास्तगी- बस कंडक्टर की- कुछ यात्रियों को टिकट जारी न करने के कदाचार के लिए- श्रम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने इस आधार पर बर्खास्तगी के आदेश को खारिज कर दिया कि टिकट रहित यात्रियों की जाँच नहीं की गयी थी- अपील में माना गयाः बर्खास्तगी का आदेश न्यायोचित- यात्रियों की गैर परीक्षा इस तथ्य की दृष्टि से महत्वहीन है कि घरेलू जाँच की कार्यवाही निष्पक्ष थी और कंडक्टर ने टिकट जारी नहीं करने के तथ्य को स्वीकार किया- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947- धारा 10 (4-ए)।

जिस बस पर प्रतिवादी कंडक्टर काम पर था उसे चैकिंग स्टाफ ने रोक लिया। यह पाया गया कि प्रतिवादी ने 136 में से 20 यात्रियों को टिकट जारी नहीं किये थे। घरेलू जाँच में उसे दोषी पाया गया और परिणाम स्वरूप उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हालाँकि श्रम न्यायालय ने माना कि घरेलू जाँच निष्पक्ष थी, लेकिन बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त कर दिया और सेवा और बकाया वेतन की अनुरूपता के साथ उसके दौबारा सेवा में पुर्नस्थापना का निर्देश दिया, इस आधार पर कि प्रतिवादी के नगदी बैग और टिकट रहित यात्रियों की जाँच नहीं की गयी थी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बकाया वेतन भुगतान के निर्देश को छोड़कर आदेश की पुष्टि की। रिट अपील पोषणीय न होने के कारण खारिज कर दी गयी। इसलिए वर्तमान अपील।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

चुंकि कार्यवाही की निष्पक्षता स्वीकार की गई और प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उसने 20 यात्रियों को टिकट जारी नहीं किए थे, इसलिए यात्रियों का परीक्षण नहीं करने का वास्तव में कोई महत्व नहीं है। निगम द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश को क्रियांवित किया जाना है (पैरा 9 और 10)। (1153-ई, एफ व जी)

हरियाणा राज्य व अन्य बनाम् रतन सिंह 1977 (2) एस.सी.सी. 491; प्रभागीय नियंत्रक के.एस.आर.टी.सी. (एन डब्ल्यू के एस आर टी सी) बनाम् ए.टी. माने 2004 (8) स्केल 308- पर आधारित

उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत

1977 (2) एस.सी.सी. 491 पैरा 7 पर निर्भर

2004 (8) स्केल 308 पैरा 8 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार- सिविल अपील संख्या 4520/2008

डब्ल्यू.पी. संख्या 17519/2000 (एल-के एस आर टी सी) और डब्ल्यू.ए. क्रमांक 3830/2005 (एल-के एस आर टी सी) में बैंगलूरू स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश और निर्णय क्रमशः दिनांकित 21.10.2005 और 21.06.2006 से।

आर एस हैगड़े, चन्द्र प्रकाश, जे के नायर, अश्विनी गर्ग, राहुल त्यागी एवं पी.पी. सिंग अपीलार्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय दिया गया -

डॉ. अरिजीत प्रसायत, जे द्वारा

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में रिट अपील संख्या 3830/2005 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच के फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें विद्वान एकल पीठ के रिट याचिका संख्या 17519/2000 में पारित आदेश के विरूद्ध की गई अपील खारिज कर दी गयी थी। रिट अपील पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त कर दी गयी। इसलिए, वर्तमान में मुख्य रूप से विद्वान एकल पीठ के आदेश को चुनौती है।

3. पृष्ठ भूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः

प्रतिवादी कंडेक्टर 15.09.1993 को बस संख्या एफ-16 में कंडक्टर के रूप में कार्यरत था जब बस को चेकिंग स्टाफ द्वारा रोका गया था। यह पाया गया कि प्रतिवादी ने 136 में से 20 यात्रियों को टिकट जारी नहीं किये थे। अपीलकर्ता ने घरेलू जाँच करवाई जिसमें उसे दोषी पाया गया। परिणामस्वरूप उसे दिनांक 03.04.1995 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जिसे प्रतिवादी द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 10 (4 ए) का उपयोग करते हुए श्रम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी। घरेलू जाँच की निष्पक्षता को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी द्वारा दायर ज्ञापन के आधार पर श्रम न्यायालय ने माना कि घरेलू जाँच निष्पक्ष और उचित थी। हालाँकि श्रम न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त कर दिया और प्रतिवादी को पूर्ण बकाया वेतन, सेवा की निरंतरता, और अन्य परिणामी लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिए। इस आदेश का आधार प्रतिवादी के बैग की जाँच न करना और टिकट रहित यात्रियों की जाँच न करना था। इस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी। आदेश दिनांक 21.10.2005, द्वारा विद्वान एकल पीठ ने माना कि जहाँ तक बर्खास्तगी आदेश को अपास्त करने, बहाली के निर्देश और सेवा की निरंतरता और परिणामी लाभों का सम्बन्ध है, आदेश सही था। हालाँकि, बकाया वेतन से संबंधित निर्देश को निरस्त कर दिया गया। रिट अपील जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह पोषणीय नहीं है।

4. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथित किया कि श्रम न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को अनुचित मानने का प्राथमिक कारण उन यात्रियों की कथित गैर परीक्षा था जिन्हें प्रतिवादी ने टिकट जारी नहीं किये थे। निगम के इस आधार में भी कोई दम नहीं मिला कि पूर्व में भी 12 अवसरों पर इसी प्रकार के आरोप में सजा दी गयी थी, लेकिन प्रतिवादी ने अपने आचरण में सुधार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने पाया कि श्रम न्यायालय के निष्कर्ष सही थे। यह नोट किया गया कि यदि अनुमेय सीमा के अंतर्गत अधिक यात्रियों को ले जाया गया था तो यह निगम की गलती थी जिसने समय पर सुधारात्मक और उपचारात्मक उपाय नहीं किये।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। इसके अलावा, जब प्रतिवादी ने स्वंय कार्यवाही की निष्पक्षता और इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि उसने 20 यात्रियों को टिकट जारी नहीं किये थे तो उनकी गैर परीक्षा का कोई महत्व नहीं है।

6. नोटिस तामील के बावजूद प्रतिवादी की और से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

7. हरियाणा राज्य व अन्य बनाम् रतन सिंह (1977) (2 एस.सी.सी. 491), में अन्य बातों के साथ यह पाया गया कि:

> "4. यह सुस्थापित है कि घरेलू जांच में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के सख्त और परिष्कृत नियम लागू नहीं हो सकते हैं। ऐसी सामग्री जो विवेकपूर्ण दिमाग के लिए तार्किक रूप से संभावित हो, स्वीकार्य है। सुनी-सुनाई बातों से कोई एलर्जी नहीं है, बशर्ते उसमें उचित सांठ-गांठ और विश्वसनीयता हो। यह सच है कि विभागीय अधिकारिगण और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को ऐसी सामग्री का

मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी चाहिए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रासंगिक नहीं होने वाली चीज़ों को लापरवाही से नहीं निगलना चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए न तो निर्णयों और न ही पाठ्य पुस्तकों का हवाला देना आवश्यक है, हालांकि हमें दोनों पक्षकारों के अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक दृष्टांत और अन्य अधिकारियों के माध्यम से लिया गया है। न्यायिक दृष्टिकोण का सार निष्पक्षता, बाहरी सामग्रियों या विचारों का बहिष्कार और प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन है। निःसंदेह, निष्पक्षता ही आधार है और यदि विकृति या मनमानी, पूर्वाग्रह या निर्णय की स्वतंत्रता का समर्पण, पहुंचे हुए निष्कर्षों को ख़राब करता है, तो ऐसे निष्कर्ष, भले ही घरेलू न्यायाधिकरण के हों, को अच्छा नहीं ठहराया जा सकता है। हालाँकि, नीचे की अदालतों ने शायद इस बात पर जोर देकर खुद को गलत निर्देशित किया कि जो यात्री अंदर आए थे और बाहर गए थे, उनका पीछा किया जाना चाहिए और वैध निष्कर्ष दर्ज किए जाने से पहले ट्रिब्यूनल के सामने लाया जाना चाहिए। 'अवशेष' नियम जिसका प्रतिवादी के अधिवक्ता ने उल्लेख किया, अमेरिकी न्यायशास्त्र के कुछ यात्रियों पर आधारित यह उस हद तक नहीं जाता है और न ही हैल्सबरी का मार्ग ऐसी कठोर आवश्यकता पर जोर देता है। सीधी बात यह है कि, क्या कोई साक्ष्य था या कोई साक्ष्य नहीं था, जो नियमित अदालती कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले तकनीकी नियमों के अर्थ में नहीं था, बल्कि निष्पक्ष सामान्य ज्ञान के तरीके से था, जैसा कि समझदार और शाब्दिक ज्ञान वाले लोग स्वीकार करेंगे। इस तरह से देखने पर, घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा निष्कर्ष के सबूत में साक्ष्य की

पर्याप्तता जांच से परे है। जांच के समर्थन में किसी भी साक्ष्य का अभाव निश्चित रूप से अदालत के लिए देखने हेतु उपलब्ध है क्योंकि यह रिकॉर्ड पर स्पष्ट कानून की त्रुटि है। इस मामले में हम पाते हैं कि उड़न दस्ते के इंस्पेक्टर चमनलाल की गवाही कुछ सबूत है जो प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप के बराबर है। इसलिए, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि आदेश इस आधार पर अमान्य है।"

5. जैसा कि पहले कहा गया है, विभागीय निर्देश, कि यात्रियों के बयान निरीक्षकों के द्वारा दर्ज किये जाने चाहिये का अनुपालन न करने पर भरोसा किया गया था। यह विवेक के निर्देश हैं, ना कि ऐसे नियम जो उल्लंघन में बाधा डालते हैं या दूषित करते हैं। इस मामले में इंस्पेक्टर ने बयान लेने की कोशिश की लेकिन यात्रियों ने इंकार कर दिया, ऐसी परिस्थितियों में परवर्ती के मनोविज्ञान को समझा जा सकता है, हालाँकि इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती है। हम यह नहीं मान सकते कि, चूंकि यात्रियों के बयान दर्ज नहीं किये गये थे, इसलिए इसके बाद जो आदेश आया वह अमान्य था। इसी तरह, सह संचालक की गवाही के आधार पर सबूतों का पुनर्मूल्यांकन अदालत के लिए नहीं बल्कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए एक मामला है। निष्कर्ष में, हमें नहीं लगता कि घरेलू न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को पलटने में नीचे की अदालतें सही थी।"

8. यह मत संभागीय नियंत्रक के एस आर टी सी (एन डब्ल्यू के एस आर टी सी) बनाम् ए.टी. माने (2004 (8) स्केल 308) में दोहराया गया था।

9. जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा सही तर्क दिया गया कि, चूंकि कार्यवाही के वैधता स्वीकार कर ली गयी थी और प्रतिवादी ने स्वीकार किया था कि उसने 20 यात्रियों को टिकट जारी नहीं किये थे, इसलिए उनकी गैर-परीक्षा का वास्तव में कोई महत्व नहीं है।

10. इस न्यायालय द्वारा, रतन सिंह के मामले (सुपरा) और ए. टी. माने के मामले में (सुपरा) जो कहा गया है उसे देखते हुए श्रम न्यायालय का निर्णय और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता और उन्हें अपास्त कर दिया जाता है। निगम द्वारा पारित बर्खास्तगी का आदेश प्रभावशील रहना है।

11. लागत पर किसी आदेश के बिना अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ऊर्मि व्यास (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।